न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 44/2023 FSSA

1. सरकार जरिये महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री राधेश्याम गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता मैसर्स— न्यु खण्डेलवाल रेस्टोरेन्ट सेन्थल रोड बाईपास चौराहा दौसा जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 26.09.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार सैनी ने दिनांक 03.5.2023 को सायंकाल 4.40 बजे श्री राधेश्याम गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता मैसर्स— न्यु खण्डेलवाल रेस्टोरेन्ट सेन्थल रोड बाईपास चौराहा दौसा जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर श्री राधेश्याम गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया तथा खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक स्टील के काउण्टर के अन्दर स्टील की ट्रे में लगभग 3 कि.ग्रा. मात्रा में खाद्य पदार्थ मावा बर्फी लूज (**Mawa Barfi Loose**) आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे, में मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जांच हेतु 2.00 कि.ग्रा. खाद्य पदार्थ मावा बर्फी लूज (**Mawa Barfi Loose**) खरीदे। जिसकी कीमत 600 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया। खदीदशुदा 2.00 कि.ग्रा. मावा बर्फी लूज (**Mawa Barfi Loose**) को हिलामिला कर मैश कर चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतल में बराबर—बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40—40 बूंदे डालकर प्रत्येक बोतल पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—3783 दर्ज किया और प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर सीएमएचओ दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नंबर द्वारा जारी ए.जी.—3783 नियमानुसार चारों भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बंद चारों नमूना भागों को अपने जाब्ते में लिया। आवेदक ने मौके पर फार्म 5 ए की दो प्रतियां तैयाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षकर करवाकर उसकी एक प्रति एफबीओ विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5ए पर प्राप्त की। मौके पर पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयारक उसे (विक्रेता)एफबीओ व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफबीओ व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म ने 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म ने 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द बोतल व फार्म नं 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी श्रेणी कर्मचारी मुख्यालय द्वारा दिनांक 04.5.2023 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 04.5.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त तथा नमूने का चतुर्थ सील

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 11.5.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ मावा बर्फी लूज (**Mawa Barfi Loose**) का नमूना खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/831/एक्ट/2023/853 दिनांक 16.5.2023 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड (**Substandard**) पाये जाने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया खाद्य पदार्थ मावा बर्फी लूज (**Mawa Barfi Loose**) का नमूना की जांच मे खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/831/एक्ट/2023/853 दिनांक 16.5.2023 के अनुसार **B.R. Reading 52.2** आई है जबकि मानक स्तर के अनुसर **40.0** से **44.0** के मध्य होनी चाहिये। इसके अलावा **Iodine Value of extracted fatty matter 61.38** आई है जो मानक स्तर के अनुसार 25.0 से 38.0 के मध्य होनी चाहिये। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ मावा बर्फी लूज (**Mawa Barfi Loose**) अवमानक स्तर का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(**ii**) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मावा बर्फी में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। फिर भी जांच में कोई कमी आई है तो भविष्य में निर्माण प्रक्रिया में गलती को सुधारने का प्रयास किया जायेगा। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/831/एक्ट/2023/853 दिनांक 16.5.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ मावा बर्फी लूज (**Mawa Barfi Loose**) की जांच में **B.R. Reading** एवं **Iodine Value of extracted fatty matter** मानक स्तर से अधिक आने के कारण अवमानक स्तर (**Sub Standard**) का पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ मावा बर्फी लूज (**Mawa Barfi Loose**) अवमानक स्तर (**Sub Standard**) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री राधेश्याम गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता मैसर्स– न्यु खण्डेलवाल रेस्टोरेन्ट सेन्थल रोड बाईपास चौराहा दौसा जिला दौसा पर 30000/–(अक्षरे तीस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 26.09.2023 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/**FSSA**/ दिनांकः– 26.09.2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री राधेश्याम गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता मैसर्स –न्यु खण्डेलवाल रेस्टोरेन्ट, सेंन्थल रोड बाई पास चौराहा दौसा जिला दौसा।

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा